



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122020-223706
CG-DL-E-15122020-223706

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3982] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2020/अग्रहायण 24, 1942
No. 3982] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2020/AGRAHAYANA 24, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4536(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरकारी संस्थान अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन किस्मों (वर्तमान किस्मों और कृषक किस्मों से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रजातियों को विनिर्दिष्ट करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 12 मई, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1536(अ), तारीख 12 मई, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में कम संख्यांक 142 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित कम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“143.	पाइंटेर गॉर्ड (ट्राइकोसेन्थस डायोइका रॉक्स बी.)	पॉइंटेर गॉर्ड	परवल
144.	कांसेन्ड्रा [कांसेन्ड्रा इन्फंडीबुलीफार्मिस (एल.) नीस.]	कांसेन्ड्रा और फायरकेकर पलॉवर	प्रियदर्श
145.	काउपी [विग्ना अंगुईकुलैटा (एल.)]	काउपी	लोबिया”

[फा. सं. 2-9 / 2008-एस.डी.V]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1536(अ), तारीख 12 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात उसे का.आ. 3406(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2017, का.आ. 133(अ), तारीख 10 जनवरी, 2018, का.आ. 3396(अ), तारीख 11 जुलाई, 2018, का.आ. 1020(अ), तारीख 25 फरवरी, 2019, और का.आ. 2576(अ), तारीख 18 जुलाई, 2019, द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2020

S.O. 4536(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 29 read with section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby specifies the following species for the purposes of registration of varieties (other than extant varieties and farmers' varieties) under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare), vide number S.O. 1536 (E), dated the 12th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th May, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 142 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“143.	<i>Pointed Gourd (Trichosanthes dioica Roxb.)</i>	Pointed Gourd	Parval
144.	Crossandra [<i>Crossandra infundibuliformis</i> (L.) Nees.]	Crossandra or Firecracker flower	Priyadarsha
145.	Cowpea [<i>Vigna unguiculata</i> (L.)]	Cowpea	Lobiya”

[F. No. 2-9/2008-SD.V]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017 and subsequently amended *vide* S.O. 3406(E), dated the 24th October, 2017, S.O. 133(E), dated the 10th January, 2018, S.O. 3396(E) dated the 11th July, 2018, S.O. 1020(E) dated the 25th February, 2019 and S.O. 2576(E) dated the 18th July, 2019.